सेवामें,

दि. 12/9/98

अध्यक्ष महोदय,
ग्यारहवाँ वित्त आयोग, नई दिल्ली ।

विषय: पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सुझाव

मान्यवर,

संविधान के 73 वें संशोधन के पश्चात ग्रामपंचायतें अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्थाएँ हैं । इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु निम्नांकित प्रयास हो सकते हैं —

1. प्रत्येक गांव की सड़क से गुजरने वाले ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, बस, कार इत्यादि वाहनों से टोल टैक्स ग्राम पंचायत ले ।
2. गांव में गुड़, चीनी, बर्तन, कपड़ा, मिठाई तथा अन्य सामान बेचने आने वालों तथा थ्रेसर, कम्बाईन जैसी मशीनों के मालिकों से टैक्स लिया जाए ।
3. समृद्ध किसानों से कृषि-सम्पदा कर ग्रहण करें ।
4. गांव-डूमरौली, तह0 बहरोड़ (अलवर) राज. की परम्परा है कि गांव में पुत्र जन्म, विवाह इत्यादि पर प्रति घर आने वाले सामूहिक नेग (भेंट) को घर-घर न बाँट कर ग्राम पंचायत को दे दिया जाता है । माना कि किसी विवाह पर प्रति घर 5 रु. भेंट आयी है तो पूरे गांव के 400 घरों के 2000 रु. पंचायत रख लेती है जो विकास कार्यों पर व्यय होते हैं ।
5. विकास योजनाएँ सामुदायिक सहभागिता के "मैचिंग ग्रान्ट" पर आधारित हों । अर्थात यदि गांव में एक लाख का व्यय करना है तो 50 हजार सरकार दे तथा 50 हजार गांववासी एकत्र करें । इसके लिए पंचायत प्रत्येक घर के पास उपलब्ध जमीन, वाहन, सरकारी अधिकारी कर्मचारी का वेतन तथा गांव में उसकी हैसियत के आधार पर हिस्सा ले सकती है । चूंकि विकास कार्य गांव में होगा अतः गांववासी पैसे भी दे देते हैं ।
6. सम्पूर्ण भारत में "प्रति व्यक्ति कर" लगा दिया जाए । इससे जनसंख्या भी नियंत्रित होगी तथा शिक्षा का प्रसार भी होगा ।

कृपया इस विषय पर मेरा विस्तृत आलेख "ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थितिः समस्या एवं समाधान" योजना (हिन्दी) अक्टूबर 1996 देखने का कष्ट करें ।

सादर

भवदीय,

S. Kataria

(डॉ. सुरेन्द्र कटारिया)
पोस्ट बॉक्स - 20
सीकर - 332001 राज.

Scanned with OKEN Scanner